न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) राजनांदगांव
जिला– राजनांदगांव (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रं0/ 1221 /अ0वि0अ0/ प्रवा0–1/2025 राजनांदगांव, दिनांक 23/4/2025

प्रति,

वन मंडलाधिकारी,
वन मंडल राजनांदगांव,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विषयः– छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 रोपित वृक्षों की कटाई बाबत् ।

विषयांतर्गत आवेदक श्री रामसेवक आ0 बालाराम साहू निवासी ग्राम धीरी तहसील व जिला राजनांदगांव के नाम पर ग्राम धीरी प0ह0नं0 65 रा0नि0मं0 टेड़ेसरा तहसील व जिला राजनांदगांव में स्थित भूमि खसरा नं. 471/2 रकबा 0.2460 पर 14 नग सागौन के पौधे कृषि के रूप में रोपित किये गये थे उक्त भूमि पर रोपित पेड़ की कटाई कराये जाने हेतु अनुमति चाहा गया है । आवेदन पत्र के साथ पी–2 खसरा, प्रारूप छः स्वघोषणा–पत्र,फोटोग्राफ्स आदि प्रस्तुत किया गया । उक्त संबंध में प्रकरण में वन विभाग,एवं राजस्व निरीक्षक टेड़ेसरा एवं हल्का पटवारी से संयुक्त स्थल जॉच प्रतिवेदन लिया गया है।

उक्त संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 202504090700046अ–62 वर्ष 2024–25 में पारित आदेश दिनांक 22/04/2025 अनुसार छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 (संशोधित) के नियम 3 की कण्डिका (एक) एवं राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 की अधिसूचना कं 61/11 फरवरी 2022 के तहत राजस्व निरीक्षक एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग के संयुक्त स्थल जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदक को ग्राम धीरी प0ह0नं0 ह.नं 65 राजस्व निरीक्षक मंडल टेड़ेसरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 471/2 रकबा 0.2460 हे0 के कैफियत कालम में दर्शित 14 वृक्ष सागौन अनुसार सूची में दर्शित कुल 16 नग सागौन वृक्ष में से स.क. 11 एवं 12 को छोड़कर शेष 14 नग सागौन प्रजाति के वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तों के तहत प्रदाय की गई है :–

1–उक्त वृक्षों का विदोहन एवं परिवहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी नियम 8(2) के परिपालन में सुनिश्चित करेगें।

2–उक्त वृक्षों का विदोहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी की निगरानी में स्वयं के व्यय पर उनके आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।

3–छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 09 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

4–वृक्षो को काटे जाने के दौरान वन विभाग द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 के नियम 8 (2) का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

अतः भूमि स्वामी द्वारा वृक्षों की कटाई करवाने हेतु छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत निर्मित नियम 4–34/सात–1/2021 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचना आपकी ओर प्रेषित है ।

संलग्न :– आदेश मय सूची ।

अनुविभागीय अधिकारी,
राजनांदगांव(छ0ग0)
अनुविभागीय अधिकारी
राजनांदगांव (छ.ग.)

क्र0/1222/अ0वि0अ0/ प्रवा0–1/2025 राजनांदगांव, दिनांक 23/4/2025

प्रतिलिपि :–

1.कलेक्टर राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2.तहसीलदार राजनांदगांव को वृक्ष कटाई पश्चात् अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित ।

3. श्री रामसेवक आ0 बालाराम साहू निवासी ग्राम धीरी तहसील व जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी,
राजनांदगांव(छ0ग0)
अनुविभागीय अधिकारी
राजनांदगांव (छ.ग.)